

पत्रांक: जी.एस.टी./2019-20/

129/वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय:- दिनांक 14 जून, 2019 को आयोजित होने वाली जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर्स परीक्षा के विज्ञापन के सम्बन्ध में ।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स एकेडमी (NACIN) द्वारा गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स (GSTPs) के इनरोलमेन्ट के कन्फर्मेशन हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 14 जून, 2019 को 11:00 AM से 01:30 PM तक किया जाना है। उक्त सूचना के प्रसार हेतु NACIN द्वारा विज्ञापन हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रेषित किया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।

यह पत्र इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त विज्ञापन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराये।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिशनर (जी.एस.टी.),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS, FARIDABAD.

Advertisement

1st May, 2019

EXAMINATION FOR CONFIRMATION OF ENROLLMENT OF GST PRACTITIONERS

The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN) has been authorized to conduct an examination for confirmation of enrollment of Goods and Services Tax Practitioners (GSTPs) in terms of the sub-rule (3) of Rule 83 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, vide Notification No. 24/2018-Central Tax dated 28.5.2018.

The GSTPs enrolled on the GST Network under sub-rule (2) of Rule 83 and covered by clause (b) of sub-rule (1) of Rule 83, i.e. those meeting the eligibility criteria of having enrolled as sales tax practitioners or tax return preparer under the existing law for a period not less than five years, are required to pass the said examination before 31.12.2019 in terms of Notification no. 03/2019-Central Tax dated 29.01.2019. Two such examinations for such GSTPs have already been conducted on 31.10.2018 and 17.12.2018. The next examination for them shall be conducted on 14.06.2019 from 1100 hrs to 1330 hrs at designated examination centers across India.

It will be a Computer Based Exam. The registration for the exam can be done by the eligible GSTPs on a registration portal, link of which will be provided on NACIN and CBIC websites. The registration portal for exam scheduled on 14.06.2019 will be **activated on 21st May, 2019** and will remain open up to **4th June, 2019**. For convenience of candidates, a help desk will also be set up, details of which will be made available on the registration portal. The applicants are required to make online payment of examination fee of Rs. 500/- at the time of registration for this exam.

Pattern and Syllabus of the Examination

PAPER: GST Law & Procedures:

Time allowed: 2 hours and 30 minutes

Number of Multiple Choice Questions: 100

Language of Questions: English and Hindi

Maximum marks: 200

Qualifying marks: 100

No negative marking

Syllabus:

1. Central Goods and Services Tax Act, 2017
2. Integrated Goods and Services Tax Act, 2017
3. State Goods and Services Tax Acts, 2017
4. Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017
5. Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017
6. Central Goods and Services Tax Rules, 2017
7. Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017
8. All State Goods and Services Tax Rules, 2017
9. Notifications, Circulars and orders issued from time to time

Note: As GST Law and Procedures are still evolving, the various items of the above syllabus will be considered as on 1.4.2019 for the purpose of this examination.



भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद

विज्ञापन

1 मई, 2019

जी.एस.टी प्रैक्टिशनरों के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन) को अधिसूचना सं० 24/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.05.2018 के तहत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनिमय, 2017 के नियम 83 के उप-नियम(3) के अनुसार जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों (जी.एस.टी.पी.) के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा आयोजित करवाने हेतु अधिकृत किया गया है।

नियम 83(2) के अधीन जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जी.एस.टी.पी., अर्थात् जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनरों या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के तौर पर तत्कालीन कानून के अधीन कम से कम पांच वर्षों की नामांकन की पात्रता मापदंड को पूरा करते हों, उनको अधिसूचना सं० 03/2019- केन्द्रीय कर दिनांक 29.01.2019 के तहत, उक्त परीक्षा को 31.12.2019 के पहले उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। ऐसे जी.एस.टी.पी. हेतु दो ऐसी परीक्षाएँ 31.10.2018 एवं 17.12.2018 को पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। उनके लिए अगली परीक्षा भारत में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर 14.06.2019 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 13:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

यह परीक्षा कम्प्यूटर के माध्यम से (कंप्यूटर बेस्ड) होगी। इस परीक्षा हेतु योग्य जी.एस.टी.पी. द्वारा पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण किया जा सकता है, जिसका लिंक नासिन और सी.बी.आई.सी की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। 14 जून 2019 की उक्त परीक्षा हेतु पंजीकरण पोर्टल 21 मई 2019 को खुलेगा और 4 जून, 2019 तक खुला रहेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक सहायता केन्द्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु पंजीकरण के समय 500/-रु की परीक्षा फीस का ऑनलाइन भुगतान अपेक्षित है।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र : जी एस टी कानून एवं प्रक्रियाएँ

समय: 2 घंटे 30 मिनट

बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या : 100

प्रश्नों की भाषा : अंग्रेजी एवं हिंदी

अधिकतम अंक : 200

उत्तीर्णांक : 100

नकारात्मक अंकन नहीं है।

पाठ्यक्रम:

1. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
2. एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
3. सभी राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
4. संघ क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
5. माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनियम, 2017
7. एकीकृत माल एवं सेवा कर विनियम, 2017
8. सभी राज्य माल एवं सेवा कर विनियम, 2017
9. समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं आदेश।

टिप्पणी : जी.एस.टी. कानून एवं प्रक्रियाएँ निरंतर विकसित हो रही हैं, अतः इस परीक्षा हेतु उपरोक्त पाठ्यक्रम के विभिन्न मदों को 01.04.2019 की तिथि तक ही लिया जाएगा।
